

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार
निष्पादन वर्ष 2019
NATIONAL SAFETY AWARDS
Performance Year – 2019
निर्देश पत्र / INSTRUCTION SHEET

1. विस्तार क्षेत्र :

योजना I से X कारखाना अधिनियम 1948 की परिधि में आने वाले कारखानों पर, निर्माण स्थलों पर भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 के अंतर्गत किसी भी पंजीकृत निर्माण स्थल तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन पर लागू है। श्रम घंटों पर आधारित योजनाओं का वर्गीकरण नीचे दिया गया है:-

योजना I एवं II	:	दस लाख श्रम घंटे या उससे अधिक काम करने वाले कारखाने / निर्माण स्थल/ परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन
योजना III एवं IV	:	कम से कम पांच लाख, लेकिन दस लाख से कम श्रम घंटे काम करने वाले कारखाने / निर्माण स्थल / परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन
योजना V एवं VI	:	कम से कम ढाई लाख, लेकिन पांच लाख से कम श्रम घंटे काम करने वाले कारखाने / निर्माण स्थल / परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन.
योजना VII एवं VIII	:	कम से कम एक लाख, लेकिन ढाई लाख से कम श्रम घंटे काम करने वाले कारखाने / निर्माण स्थल / परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन
योजना IX एवं X	:	कम से कम पचास हजार, लेकिन एक लाख से कम श्रम घंटे काम करने वाले कारखाने / निर्माण स्थल / परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन

टिप्पणी :

1. योजनाएं I, III, V, VII एवं IX पुरस्कार वर्ष से पहले लगातार तीन वर्षों के लिए उपर्युक्त श्रम घंटों हेतु लागू हैं, जबकि II, IV, VI, VIII एवं X योजनाओं के मामले में ये क्रमशः केवल निष्पादन वर्ष (अर्थात् 2019) के लिए ही है।
2. कार्य के श्रमघंटों में समयोपरि श्रमघंटे और ठेके पर काम करने वाले उन श्रमिकों के कार्य के श्रमघंटे भी शामिल होंगे, जिन्हें कारखाना अधिनियम 1948 तथा भवन, अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) के अधीन संस्थापन के अंतर्गत 'श्रमिक' माना गया है।
3. लगातार तीन वर्षों में से यदि एक में भी श्रमघंटे पचास हजार से कम हैं, तो कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।

1. SCOPE

The Schemes I to X are applicable to the factories registered under the Factories Act, 1948/ Construction sites under the Building & Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996/ Installations under Atomic Energy Regulatory Board (AERB). The classifications of schemes based on man-hours worked are as under:

Scheme I & II : Factories/ Construction sites/ Installations under AERB working for one million (10 lakhs) Man-hours and more.

Scheme III & IV : Factories / Construction sites/ Installations under AERB working less than one million (10 lakhs) man-hours subject to a minimum of half million (5 lakhs) man-hours.

Scheme V & VI : Factories/ Construction sites/ Installations under AERB working less than half million (5 lakhs) man-hours subject to a minimum of one quarter million (2.5 lakh) man-hours.

Scheme VII & VIII : Factories / Construction sites / Installations under AERB working for a minimum of one lakh man-hours but less than one quarter million (2.5 lakh) man-hours.

Scheme IX & X : Factories/ Construction sites/ Installations under AERB working for a minimum of fifty thousand (50,000) man-hours but less than one lakh (100,000) man-hours.

Note :

1. The Schemes **I, III, V, VII & IX** are applicable for the requirement of man-hours indicated above for each of the preceding three consecutive years including the Performance Year, whereas it is confined only to Performance Year i.e. 2019 in case of Schemes **II, IV, VI, VIII & X**.
2. The man-hours worked will also include overtime and the man-hours worked by the contract labour who are 'workers' under the Factories Act, 1948 / The Building & Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996/ Installations under Atomic Energy Regulatory Board (AERB).
3. No Award will be given in case the man-hours in any of the three consecutive years are less than fifty thousand.

2. उद्योगों का वर्गीकरण

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार उद्योग समूह वर्गीकृत किए गए हैं और उन्हें इस राष्ट्रीय पुरस्कार - 2019 के निर्देश पत्र, पृष्ठ संख्या 6 पर अनुसूची में दर्शाया गया है।

योजना I एवं II में हरेक के अंतर्गत पंद्रह (15) उद्योग समूह हैं और योजना III, IV, V, VI, VII, VIII, IX एवं X में प्रत्येक के अंतर्गत ग्यारह (11) उद्योग समूह हैं।

2. CLASSIFICATION OF INDUSTRIES

The groups of industries are classified as per "National Industrial Classification" (NIC) code and are given in the form of schedules at Page No.6 of NSA Instruction Sheet.

There are fifteen (15) schedules of industries including construction site each under Scheme **I & II** and eleven (11) schedules of industries each under Scheme **III, IV, V, VI, VII, VIII, IX & X** respectively.

3. राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों का आधार:

क) योजना I, III, V, VII एवं IX (न्यूनतम औसत आवृत्ति दर पर आधारित)

योजना I के अंतर्गत पंद्रह (15) उद्योग समूहों तथा III, V, VII एवं IX के अंतर्गत ग्यारह (11) उद्योग समूहों में से हरेक समूह में क्रमशः एक विजेता एवं एक उपविजेता घोषित किया जाएगा। इनमें से हरेक समूह में विजेता वह कारखाना होगा, जिसमें निष्पादन वर्ष की समाप्ति पर, लगातार तीन वर्षों की दुर्घटनाओं की औसत मूल्यांकित आवृत्ति दर निम्नतम होगी।

ख) योजना II, IV, VI, VIII एवं X (दुर्घटना मुक्त वर्ष)

योजना II के अंतर्गत पंद्रह (15) उद्योग समूहों तथा योजना IV, VI, VIII एवं X के अंतर्गत ग्यारह (11) उद्योग समूहों में से हरेक समूह में क्रमशः एक विजेता और एक उपविजेता घोषित किया जाएगा। इनमें से हरेक

समूह में विजेता वह कारखाना होगा, जिसमें निष्पादन वर्ष 2018 (जनवरी- दिसम्बर, 2019) में घातक दुर्घटना / अघातक दुर्घटना / पूर्ण स्थाई विकलांगता के बिना सबसे अधिक श्रमघंटे काम किया हो।

ग) आकलित आवृत्ति दर का परिकलन

आकलित आवृत्ति दर योजना I, III, V, VII और IX पर लागू है। आकलित आवृत्ति दर में निम्नलिखित का समावेश होगा:

क) प्रति दस लाख श्रमघंटों के कार्य पर अघातक दुर्घटनाओं की संख्या।

ख) प्रति दस लाख श्रमघंटों के कार्य पर घातक दुर्घटनाओं की संख्या का 10 गुणा।

ग) प्रति दस लाख श्रमघंटों के कार्य पर, कमाने की क्षमता की पूर्ण हानि में परिणत स्थाई पूर्ण विकलांगता के मामलों की संख्या का 10 गुणा।

आवृत्ति दर प्राप्त करने के लिए सूत्र

$$\text{अघातक दुर्घटनाओं के लिए} = \frac{\text{अघातक दुर्घटनाओं की संख्या} \times 10^6}{\text{वर्ष के दौरान श्रमघंटे}}$$

आकलित आवृत्ति दर प्राप्त करने के लिए सूत्र

$$\text{घातक दुर्घटनाओं के लिए} = \frac{\text{घातक दुर्घटनाओं की संख्या} \times 10 \times 10^6}{\text{वर्ष के दौरान श्रमघंटे}}$$

$$\text{स्थाई पूर्ण विकलांगता के लिए} = \frac{\text{स्थाई पूर्ण विकलांगता की दुर्घटनाओं की संख्या} \times 10 \times 10^6}{\text{वर्ष के दौरान श्रमघंटे}}$$

टिप्पणी : 1. अघातक दुर्घटना वह दुर्घटना है, जिसमें अक्षमता 48 घंटे या अधिक समय तक रहती है।

2. कारखाना अधिनियम 1948 तथा भवन, अन्य निर्माण कामगार (रोज़गार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन के अंतर्गत केवल सूचित करने योग्य दुर्घटनाओं को ही शामिल करना है।

3. BASIS FOR NATIONAL SAFETY AWARDS

A) Schemes I, III, V, VII & IX (Based on Lowest Average Frequency Rate)

There will be one Winner and one Runner up under each of the fifteen (15) schedules of industries under Scheme I and eleven (11) schedules of industries under each of the Scheme III, V, VII & IX respectively, who have achieved the Lowest Average Weighted Accident Frequency Rate over a period of three consecutive years ending in the performance year 2018.

B) Schemes II, IV, VI, VIII & X (Accident Free Year)

There will be one Winner and one Runner up in each of the fifteen (15) schedules of industries under Scheme II and eleven (11) schedules of industries under each of the Scheme IV, VI, VIII & X respectively. The factory, which has worked maximum manhours without any fatal accident / non fatal accident/ permanent total disability in the performance year 2019, will be the winner.

C) Calculation of Weighted Frequency Rate

The weighted frequency rate is applicable for Scheme I, III, V, VII & IX respectively. The weighted frequency rate will be the sum of:

- The nos. of reportable non-fatal accidents per million man-hours worked.
- The nos. of reportable fatal accidents per million man-hours worked multiplied by 10
- The nos. of reportable Permanent Total Disability (PTD) cases leading to total loss of Earning capacity per million man-hours worked multiplied by 10.

FORMULA FOR CALCULATING FREQUENCY RATE

$$\text{For Non- fatal accidents} = \frac{\text{No. of Non-fatal Accidents} \times 10^6}{\text{Man hours worked during the year}}$$

FORMULA FOR CALCULATING WEIGHTED FREQUENCY RATE

For fatal accidents = $\frac{\text{No. of fatal accidents} \times 10 \times 10^6}{\text{Man hours worked during the year}}$

For PTD = $\frac{\text{No. of accidents for PTD} \times 10 \times 10^6}{\text{Man hours worked during the year}}$

Note: 1. A reportable non-fatal accident is an accident which causes disability for 48 hours or more.
2. All fatal, non-fatal and the cases of permanent total disability reportable under the Factories Act, 1948 / the Building & Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 / Installations under Atomic Energy Regulatory Board (AERB) only are to be included.

4. निष्पादन वर्ष

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2019 के लिए निष्पादन वर्ष 2019 अर्थात 01 जनवरी - 31 दिसम्बर, 2019 होगा।

4. PERFORMANCE YEAR

The performance year for National Safety Awards 2019 will be 2019 i.e., 01 January – 31 December, 2019.

5. पुरस्कार

निष्पादन वर्ष के लिए प्रत्येक योजना और अनुसूची के अन्तर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक अनुसूची में विजेता और उप विजेता को एक शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

5. PRIZE

The National Safety Awards under each Scheme and Schedule will be granted for the performance year. Under each schedule, the Winner and Runner up will be presented a Shield and a Certificate of Merit.

6. पुरस्कार समिति का गठन

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को जांचने-परखने के लिए, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, एक त्रिपक्षीय पुरस्कार समिति का गठन करेगा। इस समिति में कम से कम पांच सदस्य होंगे, जिनका चयन मुख्यतः उनकी तकनीकी योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। इस पुरस्कार समिति का निर्णय, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के बाद होगा और यह निर्णय अंतिम होगा। पुरस्कार समिति किसी भी उचित कारण से पुरस्कारों की संख्या कम कर सकती है या अनुसूची में दिए गए किसी भी उद्योग को पुरस्कार न देने का निर्णय कर सकती है।

6. AWARDS COMMITTEE

The Ministry of Labour & Employment shall constitute a Tripartite Awards Committee to scrutinize and adjudge the applications received for the grant of the National Safety Awards. This Committee shall consist of not less than five members selected solely based on their technical ability and experience. Any decision of the Awards Committee in respect of prizes shall be subject to the approval of the Government of India, Ministry of Labour & Employment, whose decision shall be final. The Committee may reduce the number of awards or decide not to give an award to any of the industries given in the schedule for any reason it may consider fit.

7. प्रवेश शुल्क

हरेक योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रविष्टि के लिए 200/- रू. मूल्य का प्रवेश शुल्क www.bharatkosh.gov.in (वित्त मंत्रालय का गैर-कर प्राप्ति पोर्टल) के माध्यम से आनलाइन किया जा सकता है। रसीद की हार्ड कॉपी आवेदन पत्र के साथ भेजी जाए। प्रवेश शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क का भुगतान होने के बाद उसे वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क के लिए कोई रसीद जारी नहीं की जाएगी।

7. ENTRY FEE

Application fees payment of Rs . 200/- to be done online through www.bharatkosh.gov.in (Non-tax receipt portal by Ministry of Finance). Hard copy of receipt is required to be send along with application form. Application fees payment once paid cannot be refunded. No receipt will be issued for the application fees.

8. आवेदन पत्र प्रस्तुत करना

श्रमघंटों एवं दुर्घटनाओं तथा/ या दुर्घटना मुक्त वर्ष संबंधित सूचना को, अपने कारखाना क्षेत्र निरीक्षक/ कारखाना निरीक्षक/ भवन एवं निर्माण स्थल के मुख्य निरीक्षक/ निर्माण स्थल निरीक्षक/ परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन के निरीक्षक से आवेदनपत्र की मद संख्या 8 पर दिए प्रमाणपत्र में आवश्यक सत्यापन करवाने के बाद, भरे हुए आवेदनपत्र आवश्यक डिमांड ड्राफ्ट सहित निम्न पते पर अंतिम तारीख 31.12.2020 तक या उससे पहले भेज दे:

सचिव

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समिति

कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय

क्षेत्रीय श्रम संस्थान,

सेक्टर - 47, फरीदाबाद

हरियाणा - 121010.

टेलीफोन - 0129-2468033, 0129-2468044

फेक्स - 0129-2468219.

ईमेल - rlifaridabad@dghasli.nic.in

सूचना : किसी भी प्रकार के अपूर्ण आवेदन पत्र या नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को बिना किसी पत्राचार के अस्वीकृत किया जाएगा।

8. SUBMISSION OF APPLICATION FORM

Duly filled Application Form after necessary verification of the information pertaining to man-hours and accidents and/ or accident free year from the Inspector of Factories having jurisdiction over a factory/ Inspector of Building & Construction having jurisdiction over the Construction site/ Inspector having jurisdiction over the installations under AERB in a certificate given under item No.8 of the application form along with required receipt of transaction (after online payment) should be sent on or before the closing date 31.12.2020 to:

**THE SECRETARY
NATIONAL SAFETY AWARDS COMMITTEE
DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SERVICE & LABOUR INSTITUTES
REGIONAL LABOUR INSTITUTE
SECOR-47, FARIDABAD
HARYANA - 121010.
Telephone No. – 0129-2468033, 0129-2468044.
Fax No. 0129-2468219.
E-mail – rlifaridabad@dglasli.nic.in**

NOTE: Incomplete application or application received after due date, will be rejected without any further correspondence.

9. यह आवेदनपत्र डीजीफासली की वेबसाइट www.dglasli.nic.in पर उपलब्ध है।

9. This application form is available on the website of DGFASLI. www.dglasli.nic.in

अनुसूची (योजना I एवं II के लिए)
SCHEDULE (FOR SCHEMES I & II)

- | | |
|--|--|
| <p>1. वस्त्र विनिर्माण
Manufacture of Textile</p> | <p>9 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण
Manufacture of other Transport Equipment</p> |
| <p>2. कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण तथा अभिलेखित प्रसार सामग्री का प्रकाशन, मुद्रण एवं पुनरुत्पादन
Manufacture of Paper & Products and Publishing, Printing & Reproduction of recorded Media</p> | <p>10 मोटर वाहनों, ट्रेलरों एवं अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण
Manufacture of Motor Vehicles, Trailers and Semi-Trailers</p> |
| <p>3. रसायनों व रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण (उर्वरकों सहित)
Manufacture of Chemicals & Chemical Products (including Fertilizers)</p> | <p>11 मशीनरी एवं उपकरणों को छोड़कर मूल धातुओं, संरचित धातु उत्पादों का विनिर्माण
Manufacture of Basic Metals, Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment</p> |
| <p>4. कोयला और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण
Manufacture of Coke & Refined Petroleum Products.</p> | <p>12 अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण
Manufacture of other Non-Metallic Mineral Products</p> |
| <p>5. रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण
Manufacture of Rubber & Plastic Products</p> | <p>13 खाद्य उत्पादों और मादक पेय का विनिर्माण
Manufacture of Food Products and Beverages</p> |
| <p>6. विद्युत मशीनरी एवं उपकरणों को छोड़कर अन्यमशीनरी और उपस्करों का विनिर्माण
Manufacture of Machinery & Equipment other than Electrical Machinery & Apparatus</p> | <p>14 निर्माण
Construction</p> |
| <p>7. विद्युतीय मशीनों व उपस्करों का विनिर्माण
Manufacture of Electrical Machinery & Apparatus</p> | <p>15 विविध (अन्य कहीं शामिल नहीं)
Miscellaneous (Not included elsewhere)</p> |
| <p>8. इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और उपकरणों, उपस्करों, चिकित्सा तथा प्रकाशीय यंत्रों, घड़ियों एवं क्लाक का विनिर्माण
Manufacture of Electronics Machinery and equipment / apparatus & Medical & Optical Instruments and Watches and Clocks</p> | |

अनुसूची (योजना III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, एवं X के लिए)
SCHEDULE (FOR SCHEMES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX & X)

- | | |
|---|--|
| <p>1. वस्त्र विनिर्माण
Manufacture of Textile</p> | <p>7. विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और उपकरणों, उपस्करों, चिकित्सा तथा प्रकाशीय यंत्रों घड़ियों एवं क्लॉक का विनिर्माण
Manufacture of Electrical and Electronics Machinery and equipment / apparatus & Medical & Optical Instruments and Watches and Clocks</p> |
| <p>2. रसायनों व रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण (उर्वरकों सहित)
Manufacture of Chemicals & Chemical Products (including Fertilizers)</p> | <p>8. विद्युत मशीनरी को छोड़कर अन्य मशीनरी और उपस्करों का विनिर्माण
Manufacture of Machinery & Equipment other than Electrical Machinery</p> |
| <p>3. चमड़े की सिझाई और सजावट: सामान, हैंडबैग, जीनसाली, हारनेस और जूते-चप्पल का विनिर्माण
Tanning and Dressing of Leather :
Manufacture of Luggage, Handbags, Saddlery, Harness and Footwear</p> | <p>9. मशीनरी एवं उपकरणों को छोड़कर संरचित धातु उत्पादों का विनिर्माण
Manufacture of Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment</p> |
| <p>4. रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण
Manufacture of Rubber & Plastic Products</p> | <p>10. निर्माण
Construction</p> |
| <p>5. अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों विनिर्माण
Manufacture of other Non-Metallic Mineral Products</p> | <p>11. विविध (अन्य कहीं शामिल नहीं)
Miscellaneous (Not included elsewhere)</p> |
| <p>6. खाद्य उत्पादों और मादक पेय का विनिर्माण
Manufacture of Food Products and Beverages</p> | |

फॉर्म - रा.सु.पु., कारखाना / निर्माण स्थल / परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन
FORM- NSA: Factories/ Construction sites/ Installations under Atomic Energy Regulatory Board
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख/ Last date for receipt of application: 07.10.2020

भारत सरकार / श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA / MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार - निष्पादन वर्ष 2019 के लिए आवेदन पत्र
APPLICATION FOR NATIONAL SAFETY AWARDS (NSA)
Performance Year – 2019

सभी अपेक्षित विवरणों सहित यह आवेदन पत्र (दो प्रतियां) जिसमें www.bharatkosh.gov.in (वित्त मंत्रालय का गैर-कर प्राप्त पोर्टल) के माध्यम से आनलाइन भुगतान का ब्यौरा सहित निम्नलिखित सूचना का उल्लेख किया गया हो, सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समिति, डी.जी.फा.स.ली., क्षेत्रीय श्रम संस्थान परिसर, सेक्टर.47, फरीदाबाद, हरियाणा - 121010 को दिनांक 31.12.2020 तक पहुंच जाना चाहिए।

This form giving the particulars specified below along with the, details of transaction ID of online payment of Rs 200/- through www.bharatkosh.gov.in (Non-tax receipt portal by Ministry of Finance) shall be forwarded the Secretary, National Safety Awards Committee, Directorate General Factory Advice Service & Labour Institutes, Regional Labour Institute campus, Sector-47, Faridabad-121010, on or before the closing Date 31.12.2020.

टिप्पणी: / NOTE:

फॉर्म भरने से पहले कृपया निम्नलिखित निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

Before filling up the application form, please read the following instructions carefully.

- I. केवल कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखाने तथा भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठान और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन ही राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।

Factories registered under Factories Act, 1948 and Establishments registered under the Building & Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 & Installations under Atomic Energy Regulatory Board (AERB) are only eligible to compete for National Safety Awards.

- II. पंजीकृत कारखाने की और से प्रस्तुत केवल एक ही आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा।
प्रत्येक मद / कॉलम के सामने सूचना दें। जो लागू न हो, उसे काट दें।

Only one application in respect of a registered factory will be considered. Type the information against all the items / columns. Strike out whichever is not applicable.

- III. यदि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी गलत और असत्य पाई जाती है तो इन योजनाओं में भाग लेने के लिए ऐसी कंपनी को पांच वर्षों के लिए प्रतिषेध कर दिया जाएगा।

If the information furnished in the application form, if found incorrect, false or misleading at any point of time. Such companies shall be debarred from participation in these schemes for five years.

- IV. अधूरे भरे या अपूर्ण सूचना वाले आवेदनपत्र रद्द कर दिए जाएंगे।

Applications which are incomplete or do not furnish the full information are liable to be rejected.

- V. आवेदनपत्र भेजने से पहले मद संख्या 3, 4, 5, 6 और 7 में दिए गए तथ्यों और आंकड़ों की प्रामाणिकता के लिए, कारखाने के कारखाना निरीक्षक/ भवन एवं निर्माण स्थल निरीक्षक/ निरीक्षक, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन से आवेदनपत्र की पृष्ठ संख्या 4 पर मद संख्या 8 दिए गए प्रमाणपत्र में उन्हें सत्यापित एवं प्रमाणित करवाएं।

For authenticity, the facts and figures furnished in respect of Items No. 3, 4, 5, 6 & 7 should be verified and certified from the Inspector of Factories / Inspector of Building & Construction Site / Inspector for Installations under Atomic Energy Regulatory Board (AERB) in the certificate at Item No. 8, page No.4 of application form before submission.

- VI. अपने उद्योग के वर्गीकरण के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण की नवीनतम प्रति का उपयोग करें।

As regards classification of your industry, latest copy of National Industrial Classification (NIC) should be used.

- VII. निष्पादन वर्ष 2019 सहित, पिछले तीन वर्षों के किसी भी वर्ष में पचास हजार से कम श्रम घंटे काम करने वाले कारखानों तथा निर्माण स्थलों के आवेदनपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

The application from Factories / Construction sites / AERB Installations, who have worked below fifty thousand man hours in any of the last three years including the Performance year 2019, shall not be considered.

- VIII. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं नाम कंपनी की मोहर के बिना, आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।

Applications without signature & name of authorized signatory and company's seal are liable to be rejected.

- IX. इस आवेदनपत्र के साथ संलग्न निर्देश पत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

Read the instruction sheet enclosed with this form carefully.

क. संगठन के बारे में जानकारी

A. INFORMATION ABOUT THE ORGANIZATION

<p>फोन नं. (एसटीडी कोड के साथ), फैक्स नं. तथा ई-मेल आई डी के साथ संगठन का नाम और पता Name and address of the organization with telephone No. (With STD), Fax No. & E-mail ID</p>	<p>यदि फरीदाबाद का पता हो तो फोन नं., फैक्स नं. तथा ई-मेल आई डी, Faridabad address, if any with telephone No., Fax No. & E-mail ID</p>
<p>मोबाइल नं. /फोन नं. एसटीडी कोड के साथ संपर्क व्यक्ति का विवरण Details of the contact person with Mobile phone / phone with STD Code.</p>	<p>फरीदाबाद में संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नं./फोन नं. Details of contact person in Faridabad with Mobile No. / Phone No.</p>

2.

<p>कारखाना अधिनियम, 1948 तथा भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोज़गार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक Registration No. under Factories Act, 1948 / The Building & Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 / Installations under Atomic Energy Regulatory Board (AERB)</p>	<p>(अ) कंपनी / निर्माण स्थल / परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन का आकार (a) Size of the company / Construction Site / Installations under AERB</p>	<p>(ब) निष्पादन वर्ष 2019 के दौरान कुल बिक्री (रु.करोड़ में) (b) Turnover during the performance year 2019(Rs. in crore)</p>
<p>पंजीकृत सं. Reg. No: #</p>	<p>लघु/मध्यम/बड़ा Small/Medium/Large</p>	
<p>लाइसेंस सं. License No: #</p>		

संगठन की पंजीकरण तथा लाइसेंस सं की एक प्रति संलग्न करें।

Enclose copy of Registration No. and Licence No. of the organization.

3.

<p>*उद्योग का वर्गीकरण: (संलग्न अनुसूची के अनुसार) * Classification of Industry : (As per Schedule attached)</p>	<p>* कारखाने / निर्माण स्थल / परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन के मुख्य विनिर्माण कार्यों का उल्लेख करें *Major manufacturing activities of the factory/ construction site/ Installation under AERB</p>	<p>इन वर्षों में कामगारों की औसत संख्या: Average number of workers during the years</p>						
		<table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td></td> </tr> </table>	2017		2018		2019	
2017								
2018								
2019								

*जानकारी न देने पर, आवेदन रद्द हो सकता है।

* Failure to provide information may lead to rejection of application.

ख. योजना I/ III/ V/ VII/ IX (निम्नतम औसत आवृत्ति दर पर आधारित)

B. SCHEME I/ III /V /VII / IX (LOWEST AVERAGE FREQUENCY RATE)

(जिस योजना के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, उस पुरस्कार योजना की संख्या पर चिह्न लगाएं)

(Please tick mark the number of the Awards Scheme for which the application is submitted)

4. इन वर्षों के दौरान कुल श्रम घंटे / Total man-hours worked during the years.

(यह वास्तविक श्रमघंटे होने चाहिए और इनमें कारखाना अधिनियम 1948 की परिभाषा के अनुसार कारखाने के भीतर किया गया समयोपरि कार्य शामिल होना चाहिए। इसमें ठेके का काम भी शामिल हो) (This should be the actual number of man-hours including overtime worked inside the factory / construction site / installations under AERB as defined in the Factories Act, 1948. This also includes Contract Labour).	2017	
	2018	
	2019	

5.

कारखाना अधिनियम, 1948 तथा भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोज़गार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन के अंतर्गत इन वर्षों में 48 घंटे अथवा उससे अधिक समय-हानि वाली सूचित करने योग्य दुर्घटनाओं की संख्या Number of accidents reportable under Factories Act, 1948/The Building & Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 / Installations under Atomic Energy Regulatory Board (AERB) causing loss of time for 48 hours or more during the years.				
		ख)पूर्ण विकलांगता b) Permanent total disability	स्थाई	
	2017			
	2018			
2019				

6. पूर्ण स्थाई विकलांगता का अर्थ ऐसी दुर्घटनाओं से है, जिससे कामगार की कमाने की क्षमता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए।

Permanent total disability means such accident cases, which lead to total loss of earning capacity of the worker.

	घातक दुर्घटनाओं के लिए मूल्यांकित आवृत्ति दर Weighted frequency rate of fatal accidents**	पूर्ण स्थायी विकलांगता दुर्घटनाओं के लिए मूल्यांकित आवृत्ति Weighted Frequency rate of permanent total disability**	अघातक दुर्घटनाओं के लिए मूल्यांकित आवृत्ति दर Weighted Frequency Rate for non-fatal accidents**	कुल दुर्घटनाओं की मूल्यांकित आवृत्ति दर (नं. 2,3 व 4 का योग) Weighted Frequency rate of all accidents (sum of Col.2,3 & 4)	तीन वर्षों की औसत आवृत्ति दर Average Frequency Rate over a period of 3 years
	2	3	4	5	6
2017					
2018					
2019					

**आकलित आवृत्ति दर प्राप्त करने के लिए संलग्न पत्र में सूत्र दिया गया है।

**The formula for calculating the Weighted Frequency Rate is given in enclosed instruction sheet.

ग. योजना II / IV / VI / VIII / X (दुर्घटना मुक्त वर्ष)

C. SCHEME II / IV / VI / VIII / X (Accident Free Year)

(जिसके लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, उस पुरस्कार योजना की संख्या पर चिह्न लगाएं)

Please tick mark the number of Awards Scheme for which the application is submitted)

7.

1) दुर्घटना मुक्त वर्ष-2019 (जनवरी 2019 - दिसंबर 2019) के लिए श्रम घंटे

Man-hours for Accident Free Year 2019 (Jan. 2019– Dec. 2019)

1) वर्ष 2018 में घातक / अघातक दुर्घटनाओं एवं पीटीडी मामले की संख्या, यदि हो तो

No. of Fatal / Non-fatal accidents & cases of PTD in the year 2019, if any _____.

टिप्पणी: कंपनी चाहे केवल योजना II / IV / VI / VIII / X (दुर्घटना मुक्त वर्ष) के अंतर्गत आवेदन कर रही हो, तो भी पृष्ठ संख्या 3 पर कॉलम नं. 4 में आंकड़े देना जरूरी है।

Note: Figures at column No. 4, page No. 3 are mandatory, even though the company applies only under Scheme II /IV /VI /VIII /X (Accident Free Year).

8. कारखाने / निर्माण स्थल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मुख्य निरीक्षक /कारखाना निरीक्षक तथा मुख्य निरीक्षक / भवन एवं निर्माण स्थल निरीक्षक / परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थान के निरीक्षक द्वारा सत्यापन ।

VERIFICATION BY CHIEF INSPECTOR / INSPECTOR OF FACTORIES / BUILDING AND CONSTRUCTION HAVING JURISDICTION OVER THE FACTORY / CONSTRUCTION SITE / INSPECTOR OF A.E.R.B. HAVING JURISDICTION OVER THE INSTALLATIONS

मद संख्या 3, 4, 5, 6 और 7 में दी गई सूचना और आंकड़ों का सत्यापन किया गया है और वे सही पाए गए। इसके अलावा वर्ष 2019. के दौरान कारखाना / निर्माण स्थल / संस्थापनों ने कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत तथा निर्माण स्थल ने भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन के अंतर्गत उपबंध का कोई उल्लंघन नहीं किया है। ईएसआईसी के साथ आंकड़ों की परस्पर जांच कर ली गई है।

The information and data given under item 3, 4, 5, 6 & 7 are certified by me and found to be correct. Further, the factory / construction site / installations has not been convicted for any breach of provision under the Factories Act, 1948 / The Building & other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 / AERB Act, during the year 2018. The figures have also been cross checked with ESIC.

तारीख/ Date:

स्थान/ Place:

निरीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

Name & Signature of the Inspector

कार्यालय की मोहर
Office Seal

टिप्पणी: निरीक्षक की सील / मोहर के बिना आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

Note : Without Inspector seal / stamp the application shall be rejected.

9. प्रवेश शुल्क के विवरण

ENTRY FEE DETAILS

योजना सं./ SCHEME NO.	संचालन आई डी सं Transaction ID	दिनांक Date	राशि Amount	टिप्पणी यदि कोई Remark If any
(1) योजना I / III / V / VII / IX SCHEME I / III / V / VII / IX				
(2) योजना II / IV / VI / VIII / X SCHEME II / IV / VI / VIII / X				

(डिमांड ड्राफ्ट का ब्यौरा उस योजना के अंतर्गत भरें, जिसके लिए आवेदनपत्र भेजा गया है। योजना की संख्या पर भी चिह्न लगाएं।

(Fill up the details of the demand draft against that Scheme under which the application is submitted.

Also tick mark (√) the scheme number

प्रमाणपत्र / CERTIFICATE

10. मैं प्रमाणित करता हूँ कि/

I certify that :-

I. मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, उपर्युक्त सूचनाएं सही हैं।

The information furnished above is correct to the best of my knowledge and belief.

II. उद्योग / प्रतिष्ठान राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत है।

The industry/establishment is classified as per the National Industrial Classification (NIC).

III. दिया हुआ सुझाव एक समिति द्वारा मूल्यांकित और अनुमोदित किया गया है। यह समिति इसी कार्य के लिए प्रबंधन द्वारा गठित की गई है और इसमें कामगारों का प्रतिनिधि भी शामिल है।

The details furnished have been scrutinized and approved by a Committee assigned for the purpose by the management, which has a worker representative.

घोषणा / DECLARATION

हम यह घोषणा करते हैं कि यदि कंपनी विजेता घोषित की जाती है, तो वह पुरस्कार समारोह के दौरान पुरस्कार ग्रहण करेगी।

We hereby declare that in case the company is adjudged as a winner / runner up, the award will be received by the company during the Award Function.

तारीख/ Date

स्थान/ Place:

प्राधिकृत प्रबंधक का नाम और हस्ताक्षर

Name & signature of Authorised Manager

कंपनी की मोहर / COMPANY'S SEAL

टिप्पणी: कंपनी की सील / मोहर के बिना आवेदन रद्द कर दिया जाएगा ।

Note : Without company's seal / stamp the application shall be rejected.